

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा (राज.)

क्रमांक लेखा/2025-26/ 337

दिनांक 05/08/25

निविदा सूचना संख्या 337/2025-26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दौसा न्यायक्षेत्र के मुख्यालय बांदीकुई पर नवीन न्यायालय परिसर में, आगे की और उत्तर पश्चिम कोने में पुराना निर्माण भवन जिसका निर्मित क्षेत्रफल लगभग 250 वर्गफीट व आस-पास खुला स्थान लगभग 99.89 वर्गफीट, कैटीन संचालन हेतु बन्द लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	अनुमानित मूल्य	अमानत राशि	निविदा शुल्क	अवधि	कार्य का विवरण
01	नवीन न्यायालय परिसर, बांदीकुई	60,000/- वार्षिक	1000/-	200	3 वर्ष	कैटीन संचालन

इच्छुक निविदाकर्ता, इस कार्यालय से दिनांक 06.08.2025 से दिनांक 21.08.2025 को 11.00 ए.एम. तक उपस्थित होकर एवं निर्धारित निविदा शुल्क 200/- जरिये डी.डी. / बैंकर चैक "जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा" के नाम का जमा करवाकर, निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकता है तथा भरी हुई निविदाएं दिनांक 21.08.2025 को 01.30 पी.एम. तक इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। समस्त प्राप्त निविदाएं उसी तिथि को सांय 04.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शर्तें राजस्थान लोक उपापन पोर्टल पर एवं इस कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

अध्यक्ष, बिल्डिंग समिति
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
दौसा (राज.)

क्रमांक लेखा/2025-26/ 338-341

दिनांक : 05/08/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, दौसा को प्रेषित कर लेख है कि निविदा प्रपत्र की कॉपी आपके कार्यालय से निर्धारित निविदा शुल्क जमा कर, दी जावे तथा गार्डलाईन्स दिनांक 21.12.21 के बिन्दु संख्या 12 की पालना सुनिश्चित की जावे।
02. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा की सूचना समस्त सार्वजनिक कार्यालयों/संस्थाओं एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर लगवा कर सूचना इस समिति को प्रेषित करें। साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि निविदा प्रपत्र की कॉपी आपके कार्यालय से भी निविदा शुल्क जमा कर दी जावे। अंतिम तिथि तक प्राप्त निविदा शुल्क के चैक/डीडी अविलंब लेखा शाखा जिला न्यायालय, दौसा में भिजवाये जावे।
03. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, दौसा को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को जिला न्यायालय की वेबसाइट व लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड करें।
04. नोटिस बोर्ड, अदालत हाजा/न्यायालय परिसर, बांदीकुई

NLB-202526A0004

अध्यक्ष, बिल्डिंग समिति
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
दौसा (राज.)

①

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा (राजस्थान)

निविदा सूचना संख्या 337/2025-26

निविदा प्राप्ति की दिनांक : 21.08.2025 समय 01.30 पी.एम.

निविदा खोलने की दिनांक : 21.08.2025 समय 04.30 पी.एम.

निविदा प्रपत्र मूल्य 200 रु.

अध्यक्ष, बिल्डिंग समिति
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
दौसा (राज.)

:: निविदा प्रपत्र ::

- कार्य का नाम : नवीन न्यायालय परिसर, बांदीकुई में कैंटीन संचालन हेतु
- निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम व पता (मोबाईल नं. सहित) -
.....
.....
- निविदा विज्ञप्ति :- पत्रांक दिनांक
- निविदा प्रपत्र शुल्क राशि 200 रु. जरिये डी.डी./बैंकर चैक संख्या दिनांक से जमा करा दी गयी है।
- अमानत राशि 1000 रुपये का डी.डी. नामे जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा प्रस्तुत है।
- संविदा/अनुबंध करने के पश्चात् 7 दिवस में कैंटीन का संचालन करने के लिये सहमत हूं।
- संविदा/अनुबंध दिनांक से आगामी तीन वर्ष के लिए मान्य होगा।
- मेरे द्वारा निम्न दर पर कार्य करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है -

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	कार्य का विवरण	न्यूनतम मासिक किराया	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर
1	नवीन न्यायालय परिसर, बांदीकुई	कैंटीन संचालन	5000/- मासिक	

प्रस्तुत दर में कटिंग नहीं की जावे। कटिंग पर हस्ताक्षर करें।

- निविदा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न कर दी गई है -
 - पेनकार्ड की प्रति
 - बैंक खाता विवरण हेतु पास बुक के मुख्य पृष्ठ की फोटो प्रति
 - Experience of running Canteen in Government Departments, Courts, Government Undertaking, Schools, Hospitals or any other important place for at least a period of 3 years
- मैं, कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा द्वारा जारी की गई निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र के साथ में संलग्न समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूं। वांछित अण्डरटेंकिंग संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील



UNDERTAKING BY THE TENDERER

We have carefully gone through various terms and conditions listed above for providing of canteen service at New Court Complex, Bandikui. We agree to all these conditions and offer to provide canteen service at New Court Complex, Bandikui. We are making this offer after carefully reading the conditions and understanding the same without any kind of pressure or influence from any source whatsoever. We have acquainted ourselves with the task required to be carried out before making this offer. We hereby sign this undertaking in token of our acceptance of various conditions listed above.

Date :

Signature of the Tenderer

Place :

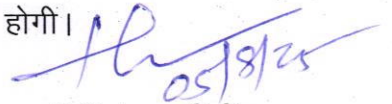
Name :

Designation :

—: निविदा के लिए आवश्यक शर्तें :-

1. भवन/जगह जहां है, जैसा है कि स्थिति में तीन वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति पर देने हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है।
2. निविदाएं विहित प्रारूप में प्रस्तुत की जावेगी, जिन्हें इस कार्यालय से 200 रु. जरिये डी.डी. / बैंकर चैक जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। यह राशि प्रतिदाय नहीं होगी।
3. निविदाएं बंद लिफाफे ' में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे, पर स्पष्ट रूप से "बांटीकुई नवीन न्यायालय परिसर में कैंटीन संचालन हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए।
4. निविदाएं दिनांक 21.08.2025 को समय दोपहर 1.30 बजे तक या उससे पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा उसी दिन सांय 4.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
5. अधिकतम किराये की दर प्रस्तुत करने वाली निविदा स्वीकार की जाएगी तथा किसी भी निविदा को या उस निविदा के किसी भाग को बिना कारण बताएँ रद्द किये जाने का पूर्ण अधिकार बिल्डिंग समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
6. विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. बिल्डिंग समिति द्वारा निविदादाता के अनुभव को भी प्राथमिकता दी जा सकती है।
8. निविदा फार्म में अंकित विशिष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।
9. बयाना राशि का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक "जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा" के पक्ष में देय संलग्न करना होगा।
10. किसी भी प्रकार का लगने वाला कर, शुल्क स्वयं निविदादाता द्वारा देय होगा। अतः दरें समस्त कर व शुल्क सहित प्रस्तुत करें।
11. कैन्टीन का आवंटन तीन वर्ष तक मान्य होगा।
12. सफल निविदादाता को नियमानुसार लाइसेंस फीस की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि का ड्राफ्ट जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा के पक्ष में जमा करवाना होगा तथा अनुबन्ध पत्र 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करवाना होगा।
13. निविदा स्याही या बालपेन या टंकण से भरी जावे। पेन्सिल से भरी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा, ओवर राइटिंग/कटिंग नहीं करें। ओवर राइटिंग/कटिंग पर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें।
14. सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी।
15. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के प्रावधान उक्त निविदा पर लागू होंगे।
16. किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायक्षेत्र दौसा होगा।
17. अमानत राशि डी.डी./बैंकर चैक के बिना निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
18. (1). निविदादाता को कैन्टीन संचालन से पूर्व कैन्टीन में उपलब्ध करवाये जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची, उनकी मात्रा प्रस्तावित मूल्य के साथ बिल्डिंग समिति को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करनी होगी।
(2). कैन्टीन में खाद्य पदार्थ अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) या बिल्डिंग समिति द्वारा समय समय पर अनुमोदित मूल्य से अधिक पर नहीं बेचे जायेंगे।
(3). बिल्डिंग समिति द्वारा अनुमोदित वस्तुओं के अलावा कोई भी वस्तु कैन्टीन में नहीं बेची जावेगी एवं निविदा करने के पश्चात् बिल्डिंग समिति द्वारा अनुमोदित दरों की लिस्ट कैन्टीन में डिस्पले करनी होगी।

19. सफल निविदादाता को लाईसेंस फीस का 1/4 भाग तुरन्त जमा कराना होगा, शेष भाग अनुबंध के अनुसार जमा कराना होगा।
20. फूड आइटम की गुणवत्ता, स्वच्छता, शुद्धता बनाए रखनी होगी। आवंटी द्वारा प्रचलित कानूनों, परिपत्रों और निर्देशों के तहत सभी खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में बिल्डिंग कमेटी को लाईसेंस को निरस्त करने का अधिकार होगा।
21. पेय पदार्थ एवं पैकड फूड की गुणवत्ता एवं एकसपायरी डेट के संबंध में बिल्डिंग कमेटी द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा।
22. कैटीन में सर्विस कण्डीशन, सुरक्षा, बीमा इत्यादि की कानूनी जिम्मेदारी कैटीन संचालनकर्ता की होगी।
23. कैटीन संचालनकर्ता को बिल्डिंग समिति द्वारा कैटीन परिसर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन व पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जावेगा एवं विद्युत बिल एवं पानी का बिल संविदादाता द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
24. कैटीन में फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना संविदादाता द्वारा स्वयं के स्तर पर व्यवस्था की जावेगी।
25. कैटीन में उपलब्ध करवाये जाने वाले फूड आइटम्स की कीमत बिल्डिंग समिति के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही बदली जा सकेगी।
26. संविदादाता को कैटीन परिसर में कोई स्थायी ढांचागत परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा।
27. संविदादाता यह सुनिश्चित करेगा कि कैटीन परिसर में संचालन के दौरान सुरक्षा एवं सेफ्टी का ध्यान रखेगा।
28. संविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों के उल्लंघन पर बिल्डिंग समिति को निविदा समाप्त करने का अधिकार होगा।
29. संविदादाता द्वारा संविदा शर्तों के उल्लंघन करने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड बिल्डिंग समिति द्वारा आरोपित भी किया जा सकता है।
30. कैटीन में कार्य करने वाले कर्मियों की सेवा शर्तें, सुरक्षा, बीमा आदि वर्तमान में कार्मिकों को नियन्त्रित करने वाले कानून के अनुसार होगी, ऐसा न करने की सूरत में आवंटी के विरुद्ध उचित कदम उठाये जा सकते हैं। अनुबन्ध निरस्त भी किया जा सकता है।
31. कैटीन में कार्य करने वाले कर्मचारी बिल्डिंग समिति द्वारा निर्धारित वर्दी पहनेंगे।
32. समझौता (Agreement) बिना कोई कारण बताये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रद्द या समाप्त किया जा सकेगा।
33. अनुबन्ध की समयावधि पूर्ण होने पर स्वतः समाप्त हो जावेगा।
34. अनुबन्ध समाप्त होने पर 07 दिवस में आवंटित भवन/जगह खाली करनी होगी।
35. कार्य के घण्टे कार्यालय समय से एक घण्टा पहले व एक घण्टा बाद तक का रहेगा।
36. अन्य शर्तें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के स्थाई आदेश क्रमांक 14/एस.ओ./2021 दिनांक 21.12.2021 से जारी Guidelines for Allotment के उपबन्ध व संलग्न परिशिष्टों में वर्णित/विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्तें लागू होंगी एवं अनुज्ञप्ति उक्त उपबन्ध व शर्तों एवं निविदा के साथ लगे अनुलग्नकों के अनुसार होगी।
37. निविदादाता को उक्त वर्णित सभी शर्तों पर अपनी सहमति देनी होगी।


अध्यक्ष, बिल्डिंग समिति
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
दौसा (राज.)